FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. **District :** Delhi **P.S :** AC-VI Delhi
   Year : 2020
   FIR No : RC2242020S0001 **Date :** 06/08/2020

2. **Acts & Sections:**

Acts	Sections	Remarks
IPC	120 B	
IPC	306	
IPC	341	
IPC	342	
IPC	380	
IPC	406	
IPC	420	
IPC	506	

3. **Suspected offences:** Criminal Conspiracy, Abetment of Suicide, Wrongful Restrain, Wrongful Confinement, Theft, Criminal Breach of Trust, Cheating and Criminal Intimidation

(a) **Occurrence of offence:**

Day: Monday **Time Period:**

From Date: 08/06/2020 **To Date:** 14/06/2020

(b) **Information Received at PS:**

Date: 06/08/2020 10:30:00 AM

(c) **General Diary Reference:**

Entry No.: 03

Date: 06/08/2020 **Time:** 17:42:00

4. **Type of Information:** Written

5. **Place of Occurrence:**

(a) **Place of Occurrence:** Mumbai, Patna and Other Places

(b) **Direction & distance from PS:**

Beat No.:

(c) **Address:**

Plot No.: **Area:**

City: **Pin:**

State: **District:**

(d) **In case, outside the limit of this Police Station, then**

Name of PS: **District:**

6. **Complainant / Informant:**

Complainant 1

(a) **Name:** Mr. KRISHAN KISHORE SINGH

(b) **Father's/Husband's Name:**

(c) **Date/Year of Birth:**

(d) **Nationality:** INDIAN

(e) **Passport:**

Passport No.	Date Of Issue	Place Of Issue

(f) **Occupation:**

(c) Address :

Plot No	Area	City	State	District	Pin
USHA SINGH HOUSE, ROAD NO. 6	RAJIV NAGAR	PATNA	Bihar	Patna	

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars:**

Accused1

Name: Ms.RHEA CHAKRABORTY(1)

Address:

Accused2

Name: Mr.INDRAJIT CHAKRABORTY(2)

Address:

Accused3

Name: Ms.SANDHYA CHAKRABORTY(3)

Address:

Accused4

Name: Mr.SHOWIK CHAKRABORTY(4)

Address:

Accused5

Name: Mr.SAMUEL MIRANDA(5)

Address:

Accused6

Name: Ms.SHRUTI MODI(6)

Address:

Accused7

Name: Unknown Person(s)

Address:

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant:**

No Delay

9. **Particulars of properties Stolen:**

Item Name	Age of Property	Estimated Cost(In INR)

10. **Total value of property stolen:**

11. **Inquest Report/U.D. Case No., if any:**

12. **First information contents:**

Pursuant to the Notification No. 9/C.B.1-80-09/2020 HP-5101/Patna dated 04.08.2020 issued u/s 6 of the Delhi Special Police Establishment Act (DSPE), 1946 by the Home Department, Govt. of Bihar followed by the Notification No. F.No.228/20/2020-AVD-II dated 05.08.2020 issued u/s 5 of the DSPE Act by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training), Govt. of India, the investigation of FIR No. 241/2020 dated 25.07.2020 registered u/s 341, 342, 380, 406, 420, 306, 506, 120B IPC, PS-Rajiv Nagar, District-Patna related to the death of Bollywood Actor Sushant Singh Rajput has been transferred to Central Bureau of Investigation for investigation. The copies of aforesaid Notifications and FIR are enclosed herewith as Annexure-A, B and C.

A Regular Case is, therefore, registered u/s 341, 342, 380, 406, 420, 306, 506, 120B IPC against (1) Rhea Chakroborty and her family members (2) Sh. Indrajit Chakraborty, (3) Smt. Sandhya Chakraborty, (4) Sh. Showik Chakroborty, (5) Sh. Samuel Miranda, (6) Ms. Shruti Modi & others and entrusted to Sh. Anil Kumar Yadav, Addl. SP, CBI, AC-VI, SIT, New Delhi for investigation.

13 **Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No.2:**

Registered the case and took up the investigation: Yes

OR

(2) Directed

Name of IO: Anil Kumar Yadav

Rank: ADDL SUPERINTENDENT OF POLICE (AC-VI Delhi)

No: 44737
to take the investigation OR

(3) Refused investigation due to:

OR

(4) Transfered To PS:

District:

on point Of Jurisdiction.

Attached Documents:

Document Name

Copy of FIR No 241 of 2020 of PS Rajiv Nagar Patna

Notification of Government of Bihar

Notification of Government of India

FIR read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost.

R.O.A.C.

14. Signature/Thumb Impression of \n the complainant/informant

Signature of Officer \n in-charge Police Station

Name: Ravi Gambhir

Rank: SUPDT. OF POLICE (AC-VI Delhi)

06/08/20

15. Date and time of dispatch to the Court:

(RAVI GAMBHIR)
Superintendent of Police
CBI/AC-VI/SIT
5B, 5th Floor, CBI Building, CGC Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003.

Government of Bihar
Home Department
(Police Branch)

NOTIFICATION

No.9/C.B.I-80-09/2020 HP- 5101 /In exercise of the powers conferred under section-6 of the Delhi Police Establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946), the Governor of Bihar is pleased to accord his consent to exercise of powers and jurisdiction to the whole of Bihar and other places related to the Case to the members of Delhi Special Police Establishment to investigate/supervise and inquire into the Rajiv Nagar (District-Patna) P.S. Case No-241/2020, Dated-25-07-2020, Section-341/342/380/406/420/306/506/120(B) I.P.C. which are related to Death of Bollywood Actor Shushant Singh Rajput.

By order of the Governor of Bihar,
04/08/2020
(Sunil Kumar)
Special Secretary to Government.

No.9/C.B.I-80-09/2020 HP- 5101 **/Patna, Dated-** 4 **August, 2020**

Copy forwarded to Superintendent, Govt. Press, Gulzarbag, Patna for publication in extra ordinary Bihar Gazette/Incharge, E-Gazette Cell, Finance Department, Bihar, Patna (with CD) for information and necessary action.

04/08/2020
Special Secretary to Government.

No.9/C.B.I-80-09/2020 HP- 5101 **/Patna, Dated-** 4 **August, 2020**

Copy forwarded to:-

1. (i) Additional Secretary, AS(S&V), Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, (Department of Personnel and Training) Govt. of India, New Delhi along with proper Performa and copy of F.I.R.
(ii) Joint Secretary, JS(S&V-1), Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, (Department of Personnel and Training) Govt. of India, New Delhi along with proper Performa and copy of F.I.R.
(iii) Director CBI, C.G.O Complex, Lodhi Road, New Delhi along with proper Performa and copy of F.I.R.
(iv) Director General of Police, Bihar Patna.
(V) D.I.G, C.B.I, Dr. Sri Krishna Path/Bailey Road, Patna/IT, Manager, Home Department for information and necessary action.
2. Director General of Police, Bihar Patna is requested to hand over all the papers related to the case to the CBI on their request.

04/08/2020
Special Secretary to Government.

No.9/C.B.I-80-09/2020 HP- 5101 /Patna, Dated- 4 August, 2020

Copy forwarded to Addl. Secretary, Ministry of Home Affairs, Room No.-114B, North Block, New Delhi-110001 along with proper Performa and copy of F.I.R. for information and necessary action.

04/08/2020

Special Secretary to Government.

No.9/C.B.I-80-09/2020 HP- 5102 /Patna, Dated- 4 August, 2020

Copy forwarded to Principal Secretary to H.E. Governor of Bihar, Bihar, Patna for information.

04/08/2020

Special Secretary to Government.

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

संख्या–09/सी0बी0आई0–80–09/2020–गृ0आ0– 5101 /दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम–1946 (1946 का अधिनियम–25) की धारा–6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, राजीव नगर (जिला–पटना), थाना कांड संख्या–241/2020, दिनांक–25.07.2020, धारा–341/342/380/406/420/306/506/120(बी) भा0द0वि0, जो बॉलीवुड कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से संबंधित है, के अनुसंधान/पर्यवेक्षण एवं अन्य अपेक्षित कार्रवाई के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को समूचे बिहार राज्य एवं मामले से जुड़े अन्य स्थानों में शक्तियों एवं अधिकारिता के प्रयोग के लिए सहमति देते हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

04/08/2020
(सुनील कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–09/सी0बी0आई0–80–09/2020–गृ0आ0– 5101/पटना, दिनांक– 4 अगस्त, 2020

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7/प्रभारी ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/08/2020
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–09/सी0बी0आई0–80–09/2020–गृ0आ0–5101 /पटना, दिनांक– 4 अगस्त, 2020

प्रतिलिपिः–

1. (i) अपर सचिव, AS(S&V), कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली को विहित प्रपत्र एवं प्राथमिकी की प्रति के साथ।

   (ii) संयुक्त सचिव, JS(S&V-1), कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली को विहित प्रपत्र एवं प्राथमिकी की प्रति के साथ।

   (iii) निदेशक, सी0बी0आई0, सी0जी0ओ0 कम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली को विहित प्रपत्र एवं प्राथमिकी की प्रति के साथ।

   (iv) पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना।

   (v) आरक्षी उप–महानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, डॉ0 श्री कृष्ण सिंह पथ, बेली रोड, पटना/आई0टी0, प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना से अनुरोध है कि इस मामले से संबंधित सारे कागजात मांगे जाने पर सी0बी0आई0 को तुरंत उपलब्ध करा दें।

04/08/2020
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-09/सी0बी0आई0-80-09/2020-गृ0आ0-5101/पटना, दिनांक- 4 अगस्त, 2020

प्रतिलिपिः- अपर सचिव, गृह मंत्रालय, कमरा नं0-114/बी0, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को विहित प्रपत्र एवं प्राथमिकी की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/08/2020

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-09/सी0बी0आई0-80-09/2020-गृ0आ0-5101/पटना, दिनांक- 4 अगस्त, 2020

प्रतिलिपिः- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

04/8/2020

सरकार के विशेष सचिव

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART-II, SECTION 3 (ii)]

Dy. No. 843 DOP Sec.
Dated 05/08/2020

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

Central Bureau of Investigation
Dy. No. 392 / ACHQ-II Zone
Date 06/08/2020

New Delhi, dated 05.08.2020

NOTIFICATION

S.O.......................... In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government, with the consent of the State Government of Bihar, issued vide Home Department (Police Branch) Notification No.9/C.B.I-80-09/2020 HP-5101/Patna, Dated 4th August, 2020, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Bihar for investigation into the Rajiv Nagar Police Station, District Patna, Case No 241/2020 dated-25.07.2020 under sections 341, 342, 380, 406, 420, 306, 506 and 120 B I.P.C. relating to the death of Bollywood actor Shushant Singh Rajput, and any attempt, abetment, and conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and / or for any other offence committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F.No. 228/20/2020-AVD-II]

(S.P.R. Tripathi)
UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

To

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, Ring Road,
New Delhi- 110064.

F.No. 228/20/2020-AVD-II New Delhi dated 05.08.2020

Copy To
(i) The Chief Secretary, Government of Bihar, Old Secretariat, Patna-800015
(ii) The Director, Central Bureau of Investigation (CBI), CGO Complex, New Delhi.
(iii) Director of Prosecution, Central Bureau of Investigation (CBI), CGO complex, New Delhi.
(iv) Guard File.

(S.P.R. Tripathi)
Under Secretary to the Government of India

05.08.20

JDAC(HQ)-II

06/08/2020

Manoj Sashidhar
Joint Director

HOB/AC VI/SIT

(भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली

दिनांक : 05 08.2020

अधिसूचना

एस.ओ.................................. केन्द्र सरकार, एतदद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 की अधिनियम संख्या 25) की धारा 5 की उप-धारा (1) सपठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार, गृह विभाग (पुलिस शाखा) की अधिसूचना सं. 9/सी.बी.आई.-80-09/2020 एचपी-5101/पटना, दिनांक04 अगस्त,.2020, के माध्यम से जारी सहमति से बॉलिवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के संबंध में राजीव नगर पुलिस स्टेशन, जिला पटना में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 342, 380, 406, 420, 306, 506 और 120 बी के तहत दर्ज मामला सं 241/2020 के संबंध में किए गए अपराध(धों) के अन्वेषण करने के लिए तथा ऐसे अपराध(धों) से जुड़े या उससे संबद्ध किसी दुष्प्रयास, दुष्प्रेरणा और षड्यंत्र एवं/अथवा उसी संव्यवहार में किए गए या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार समस्त बिहार राज्य में करती है।

(एफ. सं. 228/20/2020—एवीडी.II)

(एस.पी.आर. त्रिपाठी)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली-110064

5.08.20

JD/AC/AR(A)

अनुसूची 47, प्रपत्र सं0-118 संख्या 34089

आ० ह० प्रपत्र सं0-26 (नियम-143)

प्राथमिकी (F.I.R)

(दं. प्र. सं. की धारा 154 के अधीन)

1. * जिला पटना (Distt.) * अनुमंडल सदर (S.Div.) * थाना राजीवनगर (P.S.) * वर्ष 2020 (Yr.) * प्राथमिकी सं0 241/20 (F.I.R. No.) तिथि 25/07/2020 (Date)

2. (I) * अधिनियम (Act) भा॰ द॰ वि॰ * धाराएँ (Section) 341/342/380/406/420/306/

(II) * अधिनियम (Act) X * धाराएँ (Section) 506/120(B) भा॰ द॰ वि॰

(III) * अधिनियम (Act) X * धाराएँ (Section) X

(IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएँ (Other Acts and Sections) ठगी, छल, जालसाजी कर आत्महत्या के लिए उकसाने एवं अमानत में ख्यानत

3. (क) * अपराध की घटना (Occurence of offence) * दिन (Day) .... * तिथि से (Date from) 08/06/20 * तिथि तक (Date to) 14/06/2020 एवं अन्य तिथियों

* समयावधि (पहर) (Time period) .... * बजे से (Time from) .... * बजे तक (Time to) ....

(ख) थाना में प्राप्त सूचना तिथि 25/07/2020 समय 18:30 बजे

(ग) प्राथमिकी दर्ज कराने की तिथि 25/07/2020 समय 18:30 बजे

(घ) थाना दैनिकी संदर्भ-प्रविष्टि सं0 .... समय ....

4. सूचना का प्रकार (Type of information) लिखित/मौखिक (Written/Oral) टंकित आवेदन पत्र

5. घटना स्थल-(क) थाना से दिशा एवं दूरी उत्तर-पूरब करीब 03 कि.मी. गश्त सं0 ....

(ख) * पता (Address) उषा सिंह हाउस, रोड नं०- 06, थाना - राजीवनगर जिला - पटना।

(ग) थाना की सीमा से बाहर होने की दशा में थाना का नाम .... जिला ....

6. परिवादी/सूचना दाता :

(क) नाम कृष्णा किशोर सिंह

(ख) पिता/पति का नाम अंकित नहीं

(ग) जन्म-तिथि .... (घ) राष्ट्रीयता भारतीय

(ङ.) पारपत्र सं0 .... निर्गम तिथि .... निर्गम स्थान ....

(च) पेशा ....

(छ) पता उषा सिंह हाउस, रोड नं०-06, थाना-राजीवनगर, जिला-पटना।

P

अनुसूची 47, प्रपत्र सं0-118

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगाएं)

(1) रिया चक्रवर्ती व उसके परिजन (2) इन्द्रजीत चक्रवर्ती (3) संध्या चक्रवर्ती (4) शौविक चक्रवर्ती (5) सैमुअल मिरान्डा (6) श्रुति मोदी एवं अन्य

संदिग्ध व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएँ, विरुपता तथा अन्य विवरण :

★लिंग (Sex)	★जन्मतिथि (तिथि/मास/वर्ष) (Date of Birth) (Day/Month/Year)	★शारीरिक गठन (Build)	★ऊचाई से0 मी0 में (Height in Cms)	★वर्ण (Complexion)	★पहचान चिह्न (Identification Mark)
1	2	3	4	5	6

★विरुपता/विलक्षणता (Deformities/ peculiarities)	★दांत (Teeth)	★बाल (Hair)	★आँख (Eye)	★आदतें (Hebits)	★ पहनावा (Dress Habits)
7	8	9	10	11	12

★भाषा/बोली (Language/ Dialect)	★जले का निशान (Burn Mark)	★श्वेत कुष्ठ (Leucoderma)	स्थान ★तिल (Mole)	★जख्म चिह्न (Scar)	★गोदना (Tattoo)
13	14	15	16	17	18

यदि परिवादी/इत्तिला देने वाले/पीड़ित व्यक्ति द्वारा संदिग्ध व्यक्ति के संबंध में कोई एक या अधिक विशिष्टतायों दी जाएं तभी इन स्तंभों में प्रविष्टियाँ की जाएंगी। इसका उपयोग अनुसन्धानक के सहायतार्थ केवल प्रारंभिक सुधार के प्रयोजन से ही किया जाएगा।

इस प्रकार बनाए गए आंकड़े बाद में किसी संदिग्ध व्यक्ति को विभिन्न मामलों, यदि कोई हो, से जोड़ेगा।

जब कोई अभियुक्त गिरफ्तार किया जाए तब पूर्व-संदेह पर विचार के किए बिना सभी बातों से संबंधित व्यापक और पूर्ण आंकड़े पुनः तैयार किए जाएंगे।

8. परिवादी/सूचना दाता द्वारा सूचना देने में हुए विलम्ब का कारण :..

....

....

9. चुराई गई/अन्तर्ग्रस्त/बरामद सम्पत्तियों के व्योरे (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगायें)

....

....

....

10. ★चुराई गयी/अन्तर्ग्रस्त/बरामद सम्पत्तियों का कुल मूल्य (Total Value of properties stolen/involved/recovered)......................

....

11. ★अस्वाभाविक मृत्यु कांड सं0 यदि हो तो (U.D. Case No., if any) ....

....

12. प्राथमिकी की अन्तर्वस्तु (अलग से पन्ना लगायें, यदि आवश्यक हो)

वादी का टंकित आवेदन पत्र इस कांड का मूल आधार है। मूल प्रति मूल के साथ तथा छायाप्रति कार्य के साथ संलग्न है।

निशान्त कुमार
25/07/2020
थानाध्यक्ष
राजीवनगर थाना
पटना।

. की गयी कार्रवाई : चूँकि उपर्युक्त सूचना से मद सं. 2 में उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत अपराध किया जाना प्रकट होता है। अतः कांड दर्ज किया गया एवं अनुसंधान प्रारम्भ किया ★ निशान्त कुमार पदनाम पु०अ०नि० सह थानाध्यक्ष का अनुसंधान करने का निर्देश दिया/अनुसंधान करने से इन्कार किया/अधिकारिता के प्रश्न पर ....राजीवनगर थाना.... थाना को अंतरित किया गया। प्राथमिकि परिवादी/सूचनादाता को पढ़कर सुनायी गयी। उसने उसे सही रुप में अभिलिखित किया गया, पाकर स्वीकार किया और उसकी एक प्रति परिवादी/सूचनादाता को निःशुल्क दी गयी। (Action taken : Since the above report reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2 registered the case and took up the investigation/directed ★..Rank...................................to taken up the investigation.)

परिवादी/सूचनादाता का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान।

थाना से न्यायालय में प्रेषण की तिथि एवं समय—

निशान्त कुमार
25/07/2020
थाना प्रभारी का हस्ताक्षर

नाम (Name) ....निशान्त कुमार..........

पदनाम (Designation) पु०अ०नि० सह थानाध्यक्ष
राजीवनगर थाना

सेवा में,

थाना प्रभारी,
राजीव नगर, पटना,
बिहार।

विषयः-आरोपिया रिया चकवर्ती व उसके परिजन इन्द्रजीत चकवर्ती, संध्या चकवर्ती, शोविक चकवर्ती, सैमियल मिरन्डा, श्रुति मोदी व अन्य के विरूद्द धोखाधडी, बेईमानी बन्धक बनाकर रखने एवं आत्महत्या के लिए मजबुर करने पर, मुकदमा दर्ज करने हेतू प्रार्थना-पत्र।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि प्रार्थी कृष्ण किशोर सिंह निवासी उषा सिंह हाउस, रोड नम्बर 6, राजीव नगर, पटना बिहार, का रहने वाला हूँ। मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूँ मेरी उम्र करीब 74 साल हो चुकी है। मेरी 4 बेटिया है एवं एक बेटा था। मेरी पत्नी का साल 2002 मे स्वर्गवास हो चुका है, मेरे बेटे सुशान्त सिंह का उसकी माँ से काफी लगाव था, मेरा बेटा बहुत ज्यादा भावनात्मक था ये मुझे मेरी पत्नी के स्वर्गवास के समय महसुस हुआ। मेरा पुत्र स्व0 श्री सुशान्त सिंह राजपुत फिल्मी जगत के जाने-माने सितारे रहे है। उसने काई पो छे, व्योमकेश बक्शी, एम.एस. धोनी, केदारनाथ, छिछोरे जैसी सुपरहीट फिल्मे की है, और भारतीय सिनेमा जगत के बहुत से पुरुस्कार अपने अभिनय के बल पर प्राप्त किये है।

मेरा बेटा सुशान्त मई 2019, तक अभिनय जगत मे बुलन्दियो पर था। इसी दौरान रिया चकवर्ती नाम की एक लडकी, अपने परिजन व अन्य के साथ एक सोची समझी साजिश के तहत मेरे बेटे सुशान्त सिंह से जान पहचान बढाने लग गई। जिससे वो सुशान्त सिंह के अच्छे सम्पर्को का फायदा उठाकर अपने आपको अभिनय जगत मे स्थापित कर पाये व सुशान्त सिंह के करोडो रूपयो पर अपना हाथ साफ कर सके। इसी षडयन्त्र के चलते रिया व उसके परिजन इन्द्रजीत चकवर्ती, संध्या चकवर्ती, शोविक चकवर्ती ने मेरे बेटे से काफी नजदीकिया बढा ली और वे सभी मेरे बेटे के हर मामले पर हस्तक्षेप करने लगे। इसके उपरान्त मेरा बेटा जहा रह रहा था वो घर ये कहकर छुडवा दिया गया कि इस घर मे भूत/प्रेत है और उसका प्रभाव मेरे बेटे के दिमाग पर हो गया है और वहा से मेरे बेटे को मुम्बई एयरपोर्ट के नजदीक एक रिसोर्ट मे ले जाकर ठहरा दिया। जहा पर

रिया व उसका सारा परिवार व मेरा बेटा रहे और लगातार मेरे बेटे को इन सभी ने बार बार कहा कि तुम बहकी बहकी बाते करते हो तुम्हारे दिमाग पर कोई प्रभाव/दिक्कत है तुम्हे अच्छे ईलाज की जरूरत है इसलिए किसी अच्छे डाक्टर से तुम्हारा ईलाज शुरू करवाते है। जब हमे यह बात पता चली तो मेरी बेटी, सुशान्त सिंह से मिली एवं उसे मुम्बई से वापस लाने की कोशिश की, लेकिन रिया व उसके परिजनो ने सुशान्त सिंह को मुम्बई मे ही रहने के लिए एवं वही पर ईलाज कराने का दबाव बनाया और सुशान्त सिंह को वापस नही आने दिया। जिस पर मेरी बेटी वहा से वापस आ गई।

इसके बाद रिया, मेरे बेटे सुशान्त सिंह को ईलाज के बहाने से अपने घर मुम्बई मे ही ले गई और उसको वहा पर ओवरडोज दवाईया दी गई। उस टाईम रिया ने सबको बतलाया कि सुशान्त को डेंगू हो गया है उसका ईलाज चल रहा है जबकि सुशान्त को कभी भी डेंगू नही हुआ था। इसी दौरान रिया व उसके परिजनो ने सुशान्त की सब चीजो को अपने कब्जा मे ले लिया। परिवार से सुशान्त सिंह की बाते बहुत कम हो गई। सुशान्त का फोन, रिया व इसके परिजन अपने पास रखते थे। रिया जो फिल्मो के ऑफर, सुशान्त सिंह को आ रहे थे उसमे यह शर्त रखती थी कि अगर मुझे फिल्म मे सुशान्त के साथ मुख्य हिरोईन के तौर पर लोगें, तो ही सुशान्त फिल्म करेगा। सुशान्त के सारे विश्वास पात्र कर्मचारी रिया ने बदल दिये व उनके स्थान पर उसने अपने परिचित/नजदीकी नौकरी पर रख लिये। सारे कैडिट कार्ड, बैंक खाते, रिया व उसके परिजनो के कन्ट्रोल मे थे। सुशान्त को परिवार से बिल्कुल काट दिया गया। मेरे बेटे का पहले फोन नम्बर 9324398079, था जोकि दिसम्बर मे इन्होने बन्द करवा दिया ताकि सुशान्त सिंह से बाकि लोग भी अपने आप अलग हो जाये। इसकी जगह रिया ने अपने नजदीकी सैमियल मिरन्डा की आई.डी पर एक नया फोन नम्बर 9820800308, ले लिया जिससे कभी-कभार सुशान्त से बात हो जाती थी। कई बार सुशान्त ने मुझे बतलाया कि ये लोग मुझे पागल खाने डालना चाहते है, मैं कुछ कर नही पा रहा हूँ।

इसके उपरान्त सुशान्त सिंह, मेरी बेटियो से मिलने दिल्ली और हरियाणा आया उसे आये 2 दिन ही हुऐ थे जो रिया ने बार बार फोन करके वापस

कृष्ण किशोर सिंह

मुम्बई आने के लिए दबाव डाला इस दबाव के कारण मेरा बेटा सुशान्त सिंह मुम्बई वापस चला गया। इसके बाद हमसे बाते और कम हो गई और रिया व उसके परिजन एवं रिया के द्वारा लगाये गये कर्मचारीयो द्वारा अपने हिसाब से सुशान्त सिंह का, उसके सम्पर्क को, उसके बैंक खातो, उसके रकम को, अपने हिसाब से व अपने फायदे के लिए पुरी तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।

मेरा बेटा सुशान्त सिंह फिल्म लाईन को छोडकर, Coorg, केरल मे ओरगेनिक खेती का व्यवसाय करना चाहता था जो उसका दोस्त महेश उसके साथ कुर्ग जाने के लिऐ तैयार था तब रिया ने इस बात का विरोध किया कि तुम कही पर नही जाओगे। अगर मेरी बाते नही मानोगें तो मैं मीडिया मे तुम्हारी मैडीकल रिपोर्ट दे दूगीं और सब को बता दुगीं की तुम पागल हो। जब रिया को लगा कि सुशान्त सिंह उसकी इस बात को नही मान रहा है और उसका बैंक ब्लैंस भी बहुत कम रहा गया है इस पर रिया ने सोचा कि अब सुशान्त सिंह उसके किसी काम का नही रहा है तो रिया जोकि सुशान्त के साथ रह रही थी दिनांक 08.06.2020 को सुशान्त सिंह के घर से काफी सारा सामान, कैस, जेवरात, लेपटाप, पासवर्ड, कैडिट कार्ड, उसके पिन नम्बर, जिसमे सुशान्त के अहम दस्तावेज, ईलाज के सारे कागजात लेकर चली गई एवं मेरे बेटे सुशान्त सिंह का फोन नम्बर अपने फोन मे ब्लॉक कर दिया। इसके उपरान्त सुशान्त सिंह ने मेरी बेटी को फोन करके बतलाया कि रिया मुझे कही फंसा देगी वो यहा से काफी सामान लेकर चली गई है, वो मेरे को धमकी देकर गई है कि अगर तुमने मेरी बात नही मानी तो मैं तुम्हारे सारे ईलाज के कागजात मीडिया मे ओपन कर दूंगी और कह दुंगी तुम पागल हो गये हो तुम्हे आगे कोई काम नही मिलेगा और तुम बर्बाद हो जाओगें। इसके बाद दिनांक 08/09.06.2020 की रात को दिशा जोकि रिया ने ही सुशान्त सिंह के पास अस्थाई तौर पर सकैटरी नियुक्त की थी उसने आत्महत्या कर ली जिसके कारण मीडिया मे यह खबर चलने लगी जिससे मेरे बेटे को बहुत घबराहट हो गई और जिसके चलते मेरे बेटे ने रिया से सम्पर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रिया ने मेरे बेटे का फोन नम्बर ब्लॉक कर रखा था इसलिए उसका सम्पर्क नही हो पाया मेरे बेटे को अन्दर ही अन्दर यह डर था कि कही रिया इस आत्महत्या के लिए

मेरे बेटे को कही ना फंसा दे। इसके बाद मेरी बेटी, सुशान्त के पास गई तथा मेरे बेटे सुशान्त सिंह के पास 3/4 दिनो तक रही और उसे काफी समझाया तथा उसे हौसला दिया कि सब कुछ ठीक हो जाऐगा क्योकि मेरी बेटी के बच्चे छोटे है इस कारण वह 3/4 दिनो के बाद उसको समझा-बुझाकर चली गई। लेकिन उसके जाने के 2 दिन के बाद मेरे बेटे सुशान्त ने दिनांक 14.06.2020 को आत्महत्या कर ली। रिया व इसके परिजन व इसके सहयोगी कर्मचारीयो ने षडयन्त्र के तहत मिलकर मेरे बेटे के साथ धोखाधडी, बेईमानी की है तथा इसे काफी समय तक बन्धक बनाकर, दबाव से अपने आर्थिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया व मेरे बेटे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है इसलिए उपरोक्त प्रकरण के चलते आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि निम्न बिन्दूओ के सम्बन्ध मे इनके विरुद्द मुकदमा दर्ज करके अनुसधान किया जाये :-

1. साल 2019 से पहले जब मेरे बेटे सुशान्त सिंह को कोई भी दिमागी परेशानी नही थी तो रिया के सम्पर्क मे आने के बाद अचानक क्या हुआ कि सुशान्त सिंह को दिमागी रुप से एकदम परेशानी हो गई इसकी जांच की जाये ?
2. यदि इस दौरान वह मानसिक रुप से परेशान था या उसका कोई दिमागी ईलाज चल रहा था तो इस सम्बन्ध मे हमसे लिखित या मौखिक अनुमति क्यो नही ली गई क्योकि जब कोई व्यक्ति मानसिक रुप से बीमार होता है तो उसके सारे अधिकार उसके परिवार के ही पास होते है इसकी जांच की जाये ?
3. इस दौरान जिन जिन डाक्टरो ने रिया के कहने से मेरे बेटे सुशान्त सिंह का ईलाज किया है मुझे लगता है कि ये डाक्टर भी रिया के साथ इस सारे षडयन्त्र मे शामिल थे इस बात की जांच होनी चाहिए कि उन्होने क्या क्या ईलाज किया तथा कौन कौन सी दवाईया मेरे बेटे को दी ?
4. जब रिया को पता था कि मेरे बेटे की मानसिक हालत नाजुक चल रही है तो इस स्थित मे उसका ठीक तरीके से ईलाज ना करवाना और उसके ईलाज के सारे कागजात अपने साथ ले जाना और मेरे बेटे को उस नाजुक हालात मे अकेला छोड देना, और उससे हर तरह के सम्पर्क तोड लेना। जिसके कारण मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली तो उसकी मौत के

जिम्मेदार रिया एवं इसके परिजन एवं सहयोगी ही है इसकी जांच की जाये ?

5.मैंने अपने पुत्र के एक बैंक खाता की स्टेटमैन्ट से पता लगा कि पिछले एक साल मे लगभग 17 करोड रूपये मेरे बेटे के इस खाता नम्बर 1011972591 कोटेक महेन्द्रा मे रहा था इस खाता से, इस दौरान करीब 15 करोड रूपये निकला है इस खाता से पैसा ऐसे खातो मे ट्रासफर हुआ है जिनसे मेरे बेटे का कोई लेना देना नही था। मेरे बेटे के सभी खातो की जांच की जाये कि इन बैंक खातो/कैडिट कार्ड से कितना पैसा रिया ने अपने परिजनो एवं सहयोगियो के साथ धोखेबाजी एवं षडयन्त्र से ठगा है ?

6.इस प्रकरण से पहले सुशान्त सिंह का अभिनय जगत मे पुरा नाम था तो ऐसे क्या कारण रहे कि रिया के आने के बाद सुशान्त सिंह की फिल्मे एकदम से कम हो गई इसकी जांच की जाऐ ?

7.मेरा बेटा सुशान्त सिंह ओरगेनिक खेती के व्यवसाय के लिए कुर्ग केरला अपने दोस्त महेश के साथ जाना चाहता था जिसके लिए वो जमीन तलाश रहे थे, जब रिया को इस बात का पता चला तो उसने इस बात को विरोध किया और सुशान्त को धमकी दी कि मैं तुम्हारे ईलाज के सारे पेपर मीडिया मे हाईलाईट कर दुंगी और अपने अच्छे रसुक के चलते तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दुगीं, लेकिन जब सुशान्त सिंह ने उसकी इस बात को विरोध किया तो रिया को लगा कि सुशान्त सिंह अब उसके किसी काम का नही रहा है, तो रिया वहा से लेपटॉप, कैस, जेवर, कैडिट कार्ड, ईलाज के दस्तावेज, पिन नम्बर पासवर्ड, साथ लेकर चली गई, इस प्रकरण की जांच की जाये ?

मैंने अपने घर पटना बिहार मे रहते हुऐ, बहुत बार अपने बेटे सुशान्त से बात करने की कोशिक की, लेकिन रिया व इसने परिजन व सहयोगियो ने हमेशा मेरी सारी कोशिशो को नाकाम कर दिया और ना ही उसे मेरे पास पटना मे आने दिया। मैं बजुर्ग आदमी हूँ, मेरी उम्र 74 साल हैं। मैं, अपने बेटे के निधन के चलते शोक मे हूँ, करीब 40 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मुम्बई पुलिस मुख्य आरोपियो, के खिलाफ कार्यवाही ना करके जिन लोगो की इस प्रकरण मे कम भूमिका रही हैं उनके उपर जांच किये जा रही है,

और आज तक किसी के विरूध कोई भी अभियोग दर्ज नही किया है। मुझे पुरा पुरा यकीन है कि यदि उपरोक्त तथ्यो के आधार पर मुकदमा दर्ज करके जांच की गई तो सच्चाई सबके सामने आ पाऐगी और उपरोक्त धोखेबाज एवं षडयन्त्रकारी गिरोह का पर्दाफास हो सकेगा और पुरी दुनिया यह जान सकेगी कि उनका प्रिय अभिनेता किस षडयन्त्र का शिकार हुआ है जिसके कारण उनका उनका प्रिय अभिनेता उनसे दुर हुआ है। आपसे निवेदन है कि आप उपरोक्त सभी के खिलाफ अभियोग धारा (306.342.380.406.420. 506.120/बी, भा0.द0.स0, एवं Mental Health Care Act) के तहत दर्ज कर, एक एस.आई.टी, गठीत करके, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाये।

कृष्ण किशोर सिंह

कृष्ण किशोर सिंह
निवासी उषा सिंह हाउस,
रोड नम्बर 6, राजीव नगर,
पटना, बिहार,

Registered Rajeev Nagar P.S case No. 241/20 dated on 25/7/20 u/s 341/342/380/406/420/306 IPC 506/120(B) IPC. I will investigate the case

25/7/20
SHO
Rajeev Nagar
Patna

No. 1683 to 1690/RC01(S)/2020/CBI/ACU-VI/SIT/New Delhi Dated : 06.08.2020

Copy to:

1. The Exclusive/Special Judicial Magistrate, CBI Cases, Patna, Bihar.
2. Sub Judge/Addl. Chief Judical Magistrate-3, Patna Sadar, Patna, Bihar.
3. The Secretary, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personnel and Training), Govt. of India, Delhi with reference to Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension's Notification F.No. 228/20/2020-AVD-II dated 05.08.2020.
4. The Additional Chief Secretary, Government of Bihar with reference to Notification No. 9/C.B.I-80-09/2020 HP-5101/Patna dated 04.08.2020 issued by Home Department, Government of Bihar.
5. The Director General of Police, Police Headquarters, Patna, Bihar.
6. The Joint Director, CBI, AC HQ-II, New Delhi
7. Sh. Anil Kumar Yadav, Addl. SP, CBI, AC-VI, SIT, New Delhi.

(Ravi Gambhir) 06/08/20
Supdt. of Police
CBI, AC-VI, SIT, New Delhi

(RAVI GAMBHIR)
Superintendent of Police
CBI/AC-VI/SIT
5B, 5th Floor, CBI Building, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi-110003